न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

I/निगरानी/दमोह/भू०रा०/2017/4244

1— बालचंद वल्द बृजलाल कुर्मी ,

2— मुन्नी पिता बालचंद कुर्मी ,

निबासी— ग्राम पिपरिया छक्का , तहसील पथरिया ,जिला दमोह

............आवेदकगण

बनाम

1— शीलाबाई पत्नि धरमदास कुर्मी ,

निबासी— ग्राम पिपरिया छक्का, तहसील पथरिया ,जिला दमोह,

2— राजस्व निरीक्षक, वृत सदगंवा, तह0 पथरिया, जिला दमोह,

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत **सदगंवा, तह0 पथरिया**, जिला दमोह द्वारा **प्र0क0 41/अ12/2016—17 में पारित सीमांकन आदेश** दिनांक **30/06/2017** एवं जिसमें बिलंब हो गया है। मान्नीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 01 द्वारा ग्राम पिपरिया छक्का स्थित भूमि, खसरा नंबर 50823 एवं 509/5 , रकवा क्रमशः 0.11 तथा 0.24 हैक्टेयर का सीमांकन बावद आवेदनपत्र देकर अनावेदक क्रमांक 02 से कराया, अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा बगैर सीमांत कृषकोएवं आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किये ही दिनांक 23/06/2017 का सीमांकन दिखाकर, आवेदक की भूमि खसरा नंबर 508/3 एवं 509/5 रकवा क्रमशः 0.11 एवं 0.24 हैक्टेयर पर आवेदक का कब्जा बतला दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

निगरानी के आधार

1— यह कि अधिनस्थ रानि द्वारा आलोच्य सीमांकन करने से पूर्व आवेदक एवं अन्य किसी भी सीमांत कृषक को ना तो विधिवत सूचनापत्र जारी किया, ना ही मौके पर आवेदक व अन्य प्रभावित कृषकों की उपस्थित में सीमांकन

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०-142, मनो॰ मा॰ कालोनी, सागर
...451002

87

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/4244 बालचंद विरूद्ध शीलाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल सदगंवा के प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 4/1/19	